HRE Gazette of India

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं.
 450]
 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2013/फाल्गुन 9, 1934

 No.
 450]
 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2013/PHALGUNA 9, 1934

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2013

का.आ. 486(अ).---भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग स. के तालिका में कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :---

तालिका					
राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	किमी. में खंड			
(1)	(2)	(3)			
65	हरियाणा राज्य में अंबाला-कैथल-नरवाना-हिसार-हरियाणा/राजस्थान सीमा	किमी. 5.000 किमी. 241.500 तक			

[फा. सं. एनएच-14013/6/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2013

S.O. 486(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches specified in column (3) of the Table below, of the Section as specified in column (2) of the Table, of the National Highways number as specified in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely :---

TABLE				
National Highway No.	Section	Stretches in Kilometers		
(1)		(3)		
66 ,	Ambala-Kaithal-Narwana-Hissar-Haryana/Rajasthan Border in the State of Haryana	From km. 5.000 to km. 241.580		
		F No NH-14013/6/2012-P&M		

[F. NO. NH-14013/6/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2013

का.आ. 487(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ववर्ती पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 8 के लिए और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8	हरियाणा राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10 [किमी. 29.700 से किमी. 170.000 तक	हरियाणा राज्य सरकार"
	(दिल्ली/हरियाणा सीमा-रोहतक-हिसार) छोड्कर], सं. 21-ए, सं. 22 [किमी. 5.735 से	, ,
	किमी. 10.890 तक और किमी. 40.00 से किमी. 62.200 तक (पंजाब/हरियाणा	
	सीमा-हरियाणा/हिमाचल सीमा) छोड़कर], सं. 64, सं. 65 [किमी 5.000 से किमी 241.580	
	तक (अंबाला-कैथल-नरवाना-हिसार-हरियाणा/राजस्थान सीमा) छोड़कर], सं. 71 [किमी.	
	363.300 से किमी. 450.800 तक (रोहतक-बावल) छोड़कर], सं. 71-ए [किमी. 0.000 से	
	किमी. 80.858 तक (रोहतक-पानीपत) छोड़कर], नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 709 का विस्तार	
	(रारा-9 (नई सं.) पर रोहतक से भिवानी, लोहानी, लोहारू को जोड़ते हुए) सं. 71-बी, सं.	
Ň	72, सं. 73 [किमी. 71.640 से किमी. 179.285 तक (उत्तर प्रदेश/हरियाणा	-
•	सीमा-यमुनानगर-साहा-बरबाला-पंचकुला) छोड़कर] और सं. 73-ए ।	

[फा. सं. एनएच-14013/6/2012-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पणी.—प्रधान अधिसूचना सं. का. आ.1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा सं. का. आ. 2757(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2012 के तहत पिछली बार संशोधित की गई ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2013

S.O. 487(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S. O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

"8	So much of National Highways No. 10 [excluding from km. 29.700 to km. 170.00	State Government
	(Delhi/Haryana Border-Rohtak-Hissar)], No. 21A, No. 22 [excluding from km. 5.735	of Haryana."
	to km. 10.890 and from km. 40.000 to km. 62.200 (Punjab/Haryana Border-Haryana/	
	Himachal Border)], No. 64, No. 65 (excluding from km, 5.000 to km. 241.580 (Ambala-	
	Kaithal-Narwana-Hissar-Haryana/Rajasthan Border)], No. 71 [excluding From	
	km. 363.300 to km. 450.800 (Rohtak-Bawall)], No. 71A [excluding from km. 0.000 to	
	km. 80.858 (Rohtak-Panipat), extension of new No. NH-709 [from Rohtak on	
	NH-9 (new number) connecting Bhiwani, Lohani, Loharu], No. 71B, No. 72,	
	No. 73 [excluding from km. 71640 to km. 179.285 (Uttar Pradesh/Haryana Border-	
	Yamunanagar-Saha-Barwala-Punchkulla)] and No. 73A as are situated within the	
	State of Haryana.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

[F. No. NH-14013/6/2012-P&M] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot note.—The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 2757(E), dated the 22nd November, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.